# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

**पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 202/2023
जीसीएमएस सं. 2023/348

प्रार्थी :–

1. गणपतसिंह पुत्र रामसिंह
2. उषा कंवर पत्नी घीसूसिंह
3. जितेन्द्र सिंह राजपूरोहित पुत्र घीसूसिंह
4. मनोहरसिंह पुत्र घीसूसिंह
5. विजयसिंह पुत्र घीसूसिंह
6. किरण कंवर पुत्री घीसूसिंह
7. संतोष कंवर पुत्री घीसूसिंह सभी जातियान पुरोहित निवासीगण बाडा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
8. दुर्गाराम पुत्र नैनाराम जाति नाई निवासी बाडा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
9. मांगीदेवी पत्नी भागीरथदास जाति साद निवासी बाडा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर ।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट

उपस्थित अधिवक्तागण : दर्ज तारीख :–27.12.2023
श्री रामकिशोर सांखला प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

## " आदेश "

दिनांक :15.01.2024

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– प्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बाड़ा खुर्द पटवार क्षेत्र बाड़ा कलां, तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा न 308/89 रकबा 0.1699 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 से 8 अपने–अपने हक हिस्से में काबिज काश्त हैं। प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बाडा खुर्द पटवार क्षेत्र बाड़ा कलां, तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खसरा नं. 309/89 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि आई हुई हैं जिस पर प्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्त हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बाड़ा खुर्द पटवार क्षेत्र बाड़ा कला, तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा नं. 310/89 रकबा 0. 5663 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि आई हुई हैं जिसमें प्रार्थीगण अपने–अपने हक हिस्से में काबिज काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

प्रार्थीगण की उक्त खसरान की भूमि के पूर्व दिशा की तरफ सरकारी रास्ता हैं। प्रार्थीगण अपने खेत की दीवार निकालना चाहते हैं लेकिन माप एवं सीमांकन के बिना निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं व पत्थरगढी नहीं करवा पा रहे हैं तथा जहाँ पर प्रार्थीगण पत्थरगढी करना चाहते हैं वहाँ पर हल्का पटवारी सरकारी भूमि होना जाहिर करता है जिससे प्रार्थीगण यदि दीवार भी बना लेते हैं तो भविष्य में गिराये जाने का अंदेशा रहेगा व पश्चिमी दिशा की तरफ स्थित खसरा संख्या 88 का खातेदार भी दीवार बनाने पर विवाद करता है इसलिए भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो व प्रार्थीगण के खेत में ही प्रार्थीगण द्वारा दीवार निकाली जावे इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी व सीमाज्ञान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा हैं। श्रीमान न्यायालय के अलावा पत्थरगढी व सीमाज्ञान हेतु अन्य कोई विभाग या कार्यालय आदेश पारित नहीं कर सकता है। इसलिए प्रार्थीगण के पास श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 308/89, 309/89 व खसरा संख्या 310/89 की पत्थरगढी व सीमाज्ञान करवाने से अप्रार्थी को कोई नुकसान नहीं हैं तथा प्रार्थीगण सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु आवश्यक दस्तावेज मोमीट्रेस नक्शा, प्रमाणित जमाबंदी मय नक्शा व उचित राजस्व शुल्क अदा करने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के ग्राम बाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर में स्थित खेत खसरा संख्या 308/89, 309/89 व खसरा संख्या 310/89 की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश फरमाया जायें एवं अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो अता फरमाया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम बाडा खुर्द के खसरा नं. 308/89, 309/89 व 310/89 की पत्थरगढी एवं सीमांकन किया जाता है तो भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को कोई आपत्ति नही है।

4

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम बाडा खुर्द के खसरा नं. 308/89, 309/89 व 310/89 की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का निवेदन किया है ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

# आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील प्रार्थी द्वारा बहस में बताये बिन्दुओं अनुसार पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः वादग्रस्त आराजी ग्राम बाडा खुर्द की राजस्व सीमा मे स्थित खसरा नं. 308/89, 309/89 व 310/89 की पत्थरगढी एवं सीमांकन का नाप चौप करवा कर सीमाकंन/पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बाडा खुर्द के खसरा नं. 308/89, 309/89 व 310/89 की पत्थरगढी एवं सीमांकन का टीम गठित कर नाप चौप कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर सीमाकंन/पत्थरगढ़ी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकोष में जमा करावे । बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

(कंचन राठौड़)<br>
उपखण्ड अधिकारी एवं<br>
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,<br>
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 15.01.2024 को सर–ए–इजलास में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)<br>
उपखण्ड अधिकारी एवं<br>
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,<br>
पीपाड़ शहर